प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.17 को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः— उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. **स्वच्छ भारत मिशनः**— इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु नगर निकायों द्वारा पूर्व में निर्धारित लक्ष्य में से वार्डवार सर्वे कराने के उपरांत संख्या कम किया जा रहा है। इसे ऑनलाईन डाटावेस में सुधार एक सप्ताह में कर लिया जाय। यदि एक सप्ताह में सुधार नहीं किया जाता है तो उन्हें विभाग में बुलाकर कैम्प लगाकर सुधार (editing) कराया जाय। जहॉ सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है वहॉ एक सप्ताह में पूरा करा लिया जाय। सर्वे के साथ लाभुक से फार्म भरवाकर ले लिया जाय। विशेष सचिव द्वारा इस संबंध में पत्र निर्गत किया जाय। वैसे निकाय जहॉ 02 अक्टूबर, 2017 को ओ.डी.एफ. घोषित किया जाना निर्धारित है वहॉ वास्तविक रूप से ओ.डी.एफ. हो रहा है या नहीं इस संबंध में जॉच कर लिया जाय। सामुदायिक शौचालय के लिए दर को रिवाईज किया गया है। नये दर के अनुसार निकाय को पैसा खर्च करना है। पूरी राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी सामुदायिक शौचालय का 12 सीट का मॉडल इस्टीमेट बनाकर दिया गया है। इसमें सीटों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया–घटाया जा सकता है। परन्तु per unit मॉडल इस्टीमेट में परिवर्तन नहीं होगा एवं सारी सुविधा उपलब्ध रहना आवश्यक है। जिन निकायों में प्रगति 25 प्रतिशत से कम है वहॉ के कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। एक माह में प्रगति नहीं होने पर विभागीय कार्यवाही चलाई जाय। कई निकायों में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से पैसा निकालने में परेशानी हो रही है। वीरपुर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि Excel Sheet में प्रस्ताव भेजने पर पैसा नहीं दिया जाता है। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से राशि प्राप्त करने में हो रही असुविधा को व्हाट्स एप पर भेजा जाय ताकि विभाग में अनुश्रवण कर रहे पदाधिकारी इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई कर सकें। कई निकायों में बैंक द्वारा चेक की मॉग की जाती है जबकि Excel Sheet में ही भेजा जाना है। सभी कार्यपालक पदाधिकारी को चेक नहीं देने हेतु निदेशित किया गया। आई.सी.आई. सी.आई बैंक के प्रतिनिधि को अपने शाखा प्रबंधकों को इस संबंध में सख्त निर्देश देने का निदेश दिया गया। यदि इसे एक सप्ताह में समाप्त नहीं किया जाता है तो विभाग को इसकी सूचना दी जाय। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के छपरा शाखा से रिविलगंज को पैसा नहीं भेजा जा रहा है। सगुना मोड़ शाखा से नौबतपुर निकाय में पैसा नहीं दिया जा रहा है। ठाकुरगंज में खाता में राशि उपलब्ध नहीं है। शेरघाटी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को 10.00 लाख रुपया जमा करने के लिए शाखा प्रबंधक द्वारा कहा गया। शिवहर में भी इस तरह की बात कही गयी है। मुंगेर में पैसा जमा करने के लिए कहा गया है। इन मामलों का निष्पादन शीघ्र करने का निदेश आई.सी.आई.सी.आई के प्रतिनिधि को दिया गया है। जिन निकायों द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में स्वच्छ भारत मिशन की राशि जमा की गई है वे जमा की गई राशि को निकाल लें और पूर्व के

बैंक में जमा कर लें। नगर पंचायत, नौबतपुर द्वारा MIS में भेजे गये पिछले प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रगति से अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन में संख्या कम कर दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन निकायों द्वारा अब तक शत–प्रतिशत कार्यादेश नहीं निर्गत किया गया है वे एक सप्ताह के अन्दर शत–प्रतिशत कार्यादेश निर्गत करना सुनिश्चित करें। जहॉ कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है वहॉ कार्यारंभ कराना सुनिश्चित किया जाय। बरौली नगर पंचायत में प्रथम किश्त का भुगतान किया गया तदोपरांत लाभुक के द्वारा गड्ढा भर दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बरौली सभी प्रथम किश्त प्राप्त लाभुकों को गड्ढा खोदने का निदेश दें, अनुपालन नहीं करने पर FIR किया जाय। झंझारपुर नगर पंचायत में शत–प्रतिशत लाभुकों को कार्यादेश दिया गया है। परन्तु डाटाबेस में सुधार नहीं किया गया है जिस शीघ्र करें। दलसिंह सराय, नगर पंचायत में पूर्व में निर्माण कराये गये व्यक्तिगत शौचालयों में छत में एस्बेस्टस दिया गया है जबकि ढलाई किया जाना है। नोडल पदाधिकारी इसकी जॉच करें तथा इस संबंध में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय। बॉका नगर पंचायत में कई लाभुकों के पास जमीन है पर पूर्वज के नाम पर है। ऐसे लाभुकों से वंशावली प्राप्त कर व्यक्तिगत शौचालय बनाया जा सकता है। सभी नगर पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जाय। इस संबंध में वार्डवार टीम बनाकर कार्य किया जाय। इसमें एन.सी.सी., स्काउट एंड गाईड, नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों को शामिल किया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी।)

3.**Solid Waste Management:-** सूखा कचरा और गीला कचरा के संबंध में एक्शन प्लान बनाकर विभाग को भेजा जाय। नगर निगम और नगर परिषद द्वारा भेजा जा चुका है। जिनके द्वारा नहीं भेजा गया वे अद्यतन कर शीघ्र भेजें।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

4.**DAY-NULM**:- बॉका नगर पंचायत में दो संस्थान के साथ एग्रीमेंट किया गया है। प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हुआ है। महाराजगंज एवं मोहनिया नगर पंचायत में 01–01 शुरू हुआ है।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

5.**Shelter for Urban Homeless**:- नवगछिया नगर पंचायत में प्रगति शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पैसा नहीं गया है। अधीक्षण अभियंता के पास लंबित है। हवेली खड़गपुर में निविदा प्रकाशित की जा रही है। वारसलीगंज में कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। राजगीर में निविदा प्रकियाधीन है। अमरपुर में निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। झाझा निविदा फाइनल हो चुका है। बोधगया का बी.ओ.क्यू. अनुमोदन हेतु विभाग में आया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में गृहविहिन परिवारों का सर्वे कराया जाय। इस संबंध में अपने नगर पंचायतों का एक सप्ताह में सर्वे कराकर प्रतिवेदन में सर्वे की तिथि को अंकित करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

6. **Self Employment Programme**:- नगर निकायों को रोजगार हेतु ऋण के लिए प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों को लोन हेतु बैंक को भेजन से पूर्व अपने निकायों में गठित टास्क फोर्स के द्वारा पारित करा लें ताकि बैंक द्वारा छोटी–छोटी कमियों के कारण आवेदन अस्वीकृत न किया जा सके। इस संबंध में सबसे पहले टास्क फोर्स का गठन किया जाय। यदि कोई समस्या हो तो विभाग को पत्र लिखें।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

7. **Holding Tax**:- नगर पंचायतों में होल्डिंग टैक्स का संग्रहण बहुत ही कम हो रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। सिमरी बख्तियारपुर, परसा बाजार, महुआ, कोचस, घोघरडीहा में टैक्स संग्रहण शून्य है। परसा बाजार के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कलेक्शन हो रहा है। सर्वे नहीं हुआ है। स्टाफ की कमी है तथा 4 प्रतिशत कमीशन पर टैक्स क्लेक्टरों का चयन नहीं हुआ है। Demand Generate नहीं हुआ है। कोचस में सर्वे समाप्त हो गया है अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। श्री रामानंद झा, कार्यपालक पदाधिकारी, घोघरडीहा द्वारा बताया गया कि वहॉ बोर्ड द्वारा होल्डिंग टैक्स लगाने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स लगाने से संबंधित कार्रवाई करने पर मार–पीट पर उतारू हो जाते हैं। इस संबंध में कार्यपालक द्वारा विभाग को इस आशय का प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया साथ ही एफ.आई.आर. यदि दर्ज हुई है तो उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय। मखदुमपुर 5 प्रतिशत कलेक्शन हुआ है जिसे बढ़ाया जाय। एकमा बाजार में 8 प्रतिशत, इस्लामपुर में 8.77 प्रतिशत, रोसड़ा 7.86 प्रतिशत, बैरगनिया– 10 प्रतिशत ही टैक्स वसूल किया गया है जो बहुत ही कम है। इसे बढ़ाया जाय। साथ ही होल्डिंग टैक्स जमा करने के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। जहॉ सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है वहॉ 15 दिनों के अंदर पूरा कराकर टैक्स निर्धारित किया जाय और वसूली में तेजी लाया जाय। टैक्स नहीं देने पर नोटिस दिया जाय। इसके बाद भी यदि नहीं टैक्स देते हैं तो सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाय। ज्यादा बकाया वाले मकान मालिकों के नाम फलैक्सी में मुख्य मार्गों/ चौराहों में लगाया जाय। मोबाईल टावर/ लायसेंस/बस स्टैण्ड/ सैरात/ Mutation fee / जन्म प्रमाण पत्र शुल्क वसूली में बढ़त्तरी की जाय अन्यथा कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

8. <u>हर घर नल का जलः</u>— हर घर नल का जल योजना की साप्ताहिक बैठक बिहार विकास मिशन में की जाती है। पूरे बिहार राज्य की प्रगति समीक्षा की जाती है। MIS में भेजे गये अद्यतन प्रतिवेदन को इसके पूर्व के प्रतिवेदन से मिलान कर प्रतिवेदन भेजा जाय। साथ ही ससमय प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से टावर, पंप एवं बिछाये गये पाईप को take over करते समय सुनिश्चित हो लिया जाय कि सभी कार्यरत स्थिति में हैं। यदि पंप और टावर सही स्थिति में है तो उतना ही take over किया जाय। यदि शेष पार्ट को ठीक करके दिया जाता है तो take over किया जाय अन्यथा नहीं। तेघड़ा नगर पंचायत में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बिजली बिल भुगतान करने हेतु भेजा गया है। चूँकि बिजली बिल take over करने की तिथि से पूर्व की अवधि का है इसलिए उस अवधि के बिजली बिल का भुगतान नगर निकाय द्वारा नहीं किया जायेगा। जिन आवासीय ईकाई में बोरिंग अधिष्ठापित है उसे उपलब्धि में न लेकर लक्ष्य में कटौती किया जाय। वैसे नगर निकायों जहॉ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है और निकाय में राशि बची हुई है वे राशि surrender कर दें। इस आशय का पत्र विभाग से सभी निकायों को भेजा जाय।

निकायवार समीक्षा निम्नवत् है—

1. विक्रम —प्रतिवेदन MIS के प्रपत्र में न देकर दूसरे प्रपत्र में प्रतिवेदन भेज रहे हैं। सुधार कर MIS के प्रपत्र में भेजा जाय।
2. इस्लामपुर — निकाय द्वारा एक भी वार्ड में कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी योजना में कार्य बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी कार्य की प्रगति का सतत अनुश्रवण करते रहें। साथ बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा प्रगति प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को दिया जाय।
3. राजगीर — सभी योजना का कार्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। डी.पी.आर. तैयार हो रहा है।
4. सिलाव — नगर पंचायत में 250 फीट गहराई के बाद पत्थर मिल जाता है जिसके कारण 310 फीट की गहराई तक बोरिंग नहीं हो पाता है। इस संबंध में अलग से निदेश देने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है जिसके कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है।
5. शाहपुर — तीन वार्ड में कार्य प्रारंभ है। चार वार्ड का निविदा किया जा रहा है। चार वार्ड के लिए राशि का अभाव है।
6. मोहनिया — 03 वार्ड का कार्य दुर्गा पूजा के बाद प्रारंभ हो जायेगा। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
7. कोवाथ — निकाय में इस योजना की प्रगति शून्य है। एक वार्ड में दुर्गा पूजा के बाद कार्य प्रारंभ हो जायेगा तथा 11 वार्ड का डी.पी.आर. तैयार किया गया है।

8. कोचस – प्रगति शून्य है। कनीय अभियंता नहीं है। 04 योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। नोखा में प्रगति शून्य है। कनीय अभियंता नहीं है जिसके कारण प्राक्कलन तैयार नहीं हुआ है।
9. कॉटी – 10 वार्ड का निविदा निकाला गया जिसमें 02 फाइनल हुआ है। 04 वार्ड में कार्य पूरा हो चुका है। विहित प्रपत्र में MIS को प्रतिवेदन भेजा जाय।
10. मोतीपुर – 12 वार्ड का निविदा प्रकाशित किया गया जिसमें 01 फाइनल हुआ है दशहरा पूजा के बाद कार्य प्रारंभ हो जायेगा। 05 वार्ड का पुनर्निविदा किया जायेगा।
11. अरेराज – 13 वार्ड का निविदा हो गया है। एक सप्ताह में कार्य प्रारंभ हो जायेगा।
12. ढाका – 09 वार्ड का निविदा हो गया है। बिहार राज्य जल पर्षद को भेजा गया है जिसका निष्पादन कर दिया गया है। बिहार राज्य जल पर्षद से कागजात प्राप्त कर लिया जाय।
13. केसरिया – 09 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। 02 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
14. मेहसी – 15 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया गया है। टी.एस. के लिए बिहार राज्य जल पर्षद को भेजा गया है।
15. पकड़ी दयाल – 10 वार्ड का निविदा किया गया है। 05 वार्ड का निविदा शीघ्र प्रकाशित कर दिया जायेगा।
16. सुगौली – 10 अक्टूबर, 17 को निविदा प्रकाशित हो जायेगा।
17. चनपटिया – निविदा के लिए भेजा जाना है। शीघ्र निविदा प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।
18. रामनगर – 04 अक्टूबर,17 को निविदा प्राप्त होगा।
19. लालगंज – 12 वार्ड में काम चल रहा है। 07 वार्ड का एन.आई.टी. तैयार है।
20. महनार – 09 वार्ड का पुनर्निविदा निकाला जायेगा।
21. महुआ – 03 वार्ड का निविदा हो गया है। सी.एस. किया जाना है।
22. बैरगनिया – प्रगति शून्य है। 05 योजना का प्राक्कलन तैयार हो रहा है जिससे 07 वार्ड आच्छादित हो जायेगा।
23. बेलसंड – 13 वार्ड का निविदा के लिए भेजा गया है।
24. डुमरा – 11 वार्ड का निविदा हो गया है।
25. जनकपुर रोड – 04 वार्ड का निविदा किया गया है शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
26. बखरी नगर पंचायत – 01 वार्ड में कार्य प्रारंभ हुआ है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा चालू हालत में देने पर 15 वार्ड आच्छादित होगा। इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाय।
27. तेघड़ा – 05 वार्ड का एग्रीमेंट किया गया है। शेष का DPR तैयार हो रहा है।

28. हवेली खड़गपुर – 06 वार्ड में कार्य एक सप्ताह में प्रारंभ हो जायेगा शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
29. बड़हिया – 24 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 40 वर्ष पूर्व में पाइप बिछाया गया गया था। इस संबंध में संयुक्त निरीक्षण नहीं हो रहा है जिससे कि अद्यतन स्थिति का पता चल सके। बिहार विकास मिशन के नोडल पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में विभाग में प्रतिवेदन भेजा जाय।
30. झाझा – प्रारंभ नहीं हुआ है। पूर्व में निकाली गई निविदा को जिला पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। 20 वार्ड में ली गई योजना से 22 वार्ड आच्छादित हो जायेगा।
31. गोगरी जमालपुर – 13 योजना का निविदा हो चुका है। 07 का टी.एस. के लिए आया है।
32. बोधगया –सभी 19 वार्ड में बुडको द्वारा कार्य किया जा रहा है।
33. शेरघाटी – 08 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है अक्टूबर माह में निविदा प्रकाशित हो जायेगा।
34. दाउदनगर – 22 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। 01 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है।
35. रफीगंज – दो योजना का टी.एस. के लिए बिहार राज्य जल पर्षद में आया है। 14 वार्ड का प्राक्कलन तैयार हो रहा है।
36. हिसुआ – 06 वार्ड की पुनर्निविदा निकाली जा रही है। 04 वार्ड की निविदा जिला पदाधिकारी द्वारा रोका गया है।
37. वारसलीगंज – 03 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है।
38. मखदुमपुर – 11 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। 10 वार्ड में निविदा निकाली गया है। 02 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। प्रतिवेदन ससमय भेजा जाय।
39. जोगबनी – प्रगति शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 13 वार्ड में पुनर्निविदा करना है जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।
40. बहादुर गंज – 02 वार्ड का निविदा निकाला गया है।
41. दिघवारा – 09 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 05 वार्ड का कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।
42. मरौढ़ा – 16 वार्ड का निविदा फाइनल हो गया है। दुर्गा पूजा के बाद कार्य प्रारंभ हो जायेगा।
43. परसा बाजार – 07 वार्ड का कार्यादेश निर्गत किया गया है। 11 वार्ड का निविदा के लिए दुर्गा पूजा के बाद भेजा जायेगा।
44. रिविलगंज – 07 वार्ड में कार्य प्रारंभ है। 03 वार्ड का निविदा के लिए गया है। 03 वार्ड का प्राक्कलन तैयार है। शेष का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
45. मैरवा – 05 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। 08 वार्ड में कार्य प्रारंभ है।

46. कटैया – 05 की पुनिर्निविदा निकाला गया है। 03 वार्ड का प्राक्कलन तैयार हो रहा है।
47. घोघरडीहा – 04 वार्ड में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। 05 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
48. झंझारपुर– 04 वार्ड का निविदा निकाला गया है। 05 वार्ड में बुडको द्वारा कार्य किया जाना है पर 02 वार्ड में ही बुडको द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विभाग में भेजा जाय।
49. दलसिंह सराय – BOQ approve नहीं हुआ है इसके लिए बिहार राज्य जल पर्षद से सम्पर्क कर शीघ्र BOQ का अनुमोदन करा लिया जाय।
50. रोसड़ा – 09 वार्ड का प्राक्कलन तैयार किया गया हैं 07 वार्ड का टी.एस. हो गया है।
51. कहलगॉव – 04 वार्ड का कार्यादेश दुर्गा पूजा के बाद निर्गत कर दिया जायेगा।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

9.**LED Light:-** सभी नगर निकायों में लगे पुराने लाईट को अम्ब्रेला योजना के तहत एल.ई.डी. लाईट से बदला जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा NESL, जो भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय के साथ अनुबंधित है, के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है। प्रथम चरण में जितने जगहों पर पुराना लाईट लगा हुआ उसे एल.ई.डी. लाईट से बदला जायेगा। दूसरे चरण में जहॉ खंभा है पर लाईट नहीं है वहॉ लाईट लगाया जायेगा। तीसरे चरण में खंभा एवं लाईट दोनों नहीं है उसे बदला जायेगा।

इस योजना के तहत कंपनी द्वारा लाईट 07 साल के लिए लगाया जायेगा। शर्त के अनुसार 95 प्रतिशत लाईट ऑन रहना अनिवार्य है। खराब लाईट को कंपनी के द्वारा 72 घंटा में ठीक करना/ बदल दिया जाना है। इस संबंध में सर्वे संयुक्त रूप से कर लिया जाय। रोड वार एवं वार्डवार सर्वे करायाा जाना सुनिश्चित किया जाय। भुगतान त्रैमासिक किया जायेगा।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

10.**सबके लिए आवास योजना**:– सभी नगर निकायों से भारत सरकार को नये आवासों की स्वीकृति हेतु भेजने के लिए प्रस्ताव मॉगे गये थे। अब तक कुल 36534 आवासीय ईकाई का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। यह लगातार जारी रहेगा अतः स्वीकृति हेतु नये प्रस्तावों को भेजा जाय।

सबके लिए आवास योजना की निकायवार समीक्षा निम्न हैः–

1. बड़हिया – द्वितीय चरण में स्वीकृत 373 लाभुकों के लिए आवास हेतु एम.आई.एस. इंट्री की गई है। 200 को अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
2. बरौली – मात्र 19.6 प्रतिशत ही कार्य किया गया है। प्रगति लाया जाय।
3. बिकम – प्रथम चरण में 84 प्रतिशत किया गया है। द्वितीय चरण के 77 को कार्यादेश एवं 21 को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 10 अक्टू॰ 17 तक शत–प्रतिशत लाभुकों को कार्यादेश निर्गत करने हेतु आश्वस्त किया गया है।
4. बिकमगंज – मात्र 1.6 प्रतिशत ही कार्य किया गया है। 205 का एल.पी.सी. प्राप्त हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 अक्टू॰ 17 तक सभी लाभुकों को कार्योदेश दे दिया जायेगा। कार्य नें प्रगति लाया जाय।
5. बोध गया– प्रथम चरण के लगभग सभी लाभुकों को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। द्वितीय चरण के स्वीकृत 627 ईकाई में 17 को प्रथम किश्त तथा 169 को कार्यादेश निर्गत किया गया है।
6. दाउदनगर– मात्र 20 प्रतिशत कार्य किया गया है। द्वितीय चरण के 28 लाभुक को कार्यादेश दिया गया है। संबंधित नोडल पदाधिकारी दाउदनगर में लाभुकों को बुलाकर बात करें तथा उनके समस्या का यथासंभव निष्पादन किया जाय एवं कार्य में प्रगति लाया जाय।
7. ढाका – 15 अक्टूबर, 2017 तक सभी को कार्यादेश देने हेतु आश्वस्त किया गया है। नोडल पदाधिकारी श्री सोमेश कुमार इसका सत्त अनुश्रवण करेंगे।
8. दीघवाड़ा– मात्र 8.9 प्रतिशत कार्य किया गया है। 42लाभुकों को प्रथम किश्त का भुगतान किया गया है। 10 अक्टू॰ 17 तक 150 लाभुकों को कार्यादेश देने हेतु आश्वस्त किया गया है। कार्य में तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया।
9. डुमरा – 17 में मात्र 01 को कार्यादेश दिया गया। 07 के साथ एग्रीमेंट हुआ है। 05 मुख्यालय से बाहर रह रहे हैं। शेष राशि को सरेंडर कर दिया गया है। संबंधित विभागीय पदाधिकारी अग्रेतर कार्रवाई करें।
10. गोगरी जमालपुर– प्रथम चरण के 986 में शून्य प्रगति है। यह स्थिति अत्यंत ही चिन्ताजनक है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अभियान चलाकर स्वीकृत योजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाय। जिला के नोडल पदाधिकारी माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को आयोजित शिविर में इसका समीक्षा करें।
11. हिसुआ – प्रथम चरण के 228 में से 105 लाभुकों को प्रथम किश्त तथा 98 लाभुकों को द्वितीय किश्त दिया गया है। द्वितीय चरण के स्वीकृत लाभुकों को कार्यादेश एवं प्रगति लाने हेतु कार्रवाई की जाय।

12. झाझा– 8.1 प्रतिशत कार्य किया गया है। द्वितीय चरण के 295 ईकाई स्वीकृत हैं। 10 अक्टू. 17 तक 100 लाभुकों को कार्यादेश देने हेतु आश्वस्त किया गया है।
13. जोगबनी 2.6 प्रतिशत कार्य किया गया है। 406 में से 12 लाभुकों को प्रथम किश्त दिया गया है। 302 को सरेंडर कर दिया गया है। कुल 198 घर ही बनाना है।
14. कहलगॉव– 54 में से 44 को कार्यादेश दिया गया है। शेष को शीघ्र ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। द्वितीय चरण के 273 ईकाई में से 90 को कार्यादेश दिया गया है। संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाय।
15. कटैया – 2.6 प्रतिशत कार्य किया गया है। 661 में से 17 को कार्यादेश दिया गया है। भूदान द्वारा दान में प्राप्त जमीन है। भूदान की जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है जिसके कारण समस्या हो रही है।
16. कोचस – प्रथम चरण का 40 प्रतिशत कार्य किया गया है। द्वितीय चरण के 35 को कार्यादेश दिया गया है। कार्य में प्रगति लाया जाय।
17. कोईलवर – 15 को प्रथम किश्त तथा 14 को द्वितीय किश्त दिया गया है।
18. मैरवा– प्रथम चरण का 85 प्रतिशत कार्य किया गया है। राशि की कमी है। कार्य में तेजी लाया जाय। राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. मनिहारी – प्रथम चरण का 17.5 प्रतिशत कार्य किया गया है।
20. वीरगंज – प्रथम चरण का 3.7 प्रतिशत कार्य किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय।
21. मोहनिया– 10 प्रतिशत कार्य किया गया है।
22. नासरीगंज – 19 प्रतिशत कार्य प्रथम चरण का किया गया है।
23. नौबतपुर – 15 प्रतिशत कार्य किया गया है। कुल 350 में से 92 लाभुकों को कार्यादेश तथा 55 लाभुकों को प्रथम किश्त दिया गया है।
24. परसा बजार – 16 प्रतिशत कार्य किया गया है। 282 को कार्यादेश दिया गया है।
25. रफीगंज – प्रथम चरण का 44 प्रतिशत कार्य किया गया है तथा द्वितीय चरण का प्रगति शून्य हैं 10 अक्टू. 17 तक प्रगति लाया जाय।
26. राजगीर – मात्र 45 आवास ही बनाना है। 255 surrender करना है। surrender की कार्रवाई शीघ्र कर ली जाय।
27. रोसड़ा – प्रथम चरण का प्रगति शून्य है। शपथ पत्र नहीं प्राप्त हो रहा है जिसके कारण कार्य नहीं हो पा रहा हैं
28. शेरघाटी – न्यायालय में मामला लंबित रहने के कारण कार्य नहीं किया जा रहा है। यदि कार्य नहीं किया जा रहा है तो राशि surrender कर दिया जाय।
29. ठाकुरगंज – प्रथम चरण का 48 प्रतिशत कार्य किया गया है। द्वितीय चरण में 3 प्रतिशत कार्य किया गया है। कार्य में प्रगति लाया जाय।

30. वारसलीगंज – प्रथम चरण का 80 प्रतिशत एवं द्वितीय चरण का 16 प्रतिशत कार्य किया गया है।

सभी कार्यपालक पदाधिकारी स्वीकृत सभी आवासीय इकाई में दिनांक 31.10.17 तक कार्य प्रारंभ करें अन्यथा उसे surrender कर दिया जाय। जिन नगर पंचायतों की कार्य प्रगति 25 प्रतिशत से कम है वहॉ के कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन– प्रभारी विभागीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

11. **IHSDP**:– इस योजना के तहत यदि 31 मार्च, 2017 तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसे प्रारंभ नहीं किया जाय। जो कार्य प्रारंभ है उसे पूरा कर लिया जाय। अव्यवहयत राशि को सरेंडर कर दिया जाय। कार्य पूर्ण हो जाने पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने के बाद योजना पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र भी भेजा जाय। इस योजनान्तर्गत आवासीय ईकाई तथा आधारभूत संरचना ईकाई जिसमें दिनांक 31.03.17 से पहले कार्य प्रारंभ कर दिया गया है उसे हर हाल में 31.10.17 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

12. **प्रशासनिक भवन**:– जिन नगर निकायों का अपने कार्यालय भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है और भवन निर्माण हेतु राशि नहीं है। वे विभाग से अनुरोध करें राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। जहॉ जमीन उपलब्ध हो गया है और राशि भी है वे शीघ्र कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

13. **लोक लेखा**:– लोक लेखा की लंबित कंडिका 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4, 5.7.1, 5,7,2, 5.7.4 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। अनुपालित कंडिकाओं के प्रतिवेदन की एक प्रति विभाग को भेजा जाय। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार लंबित प्रतिवेदनों का अनुपालन/निष्पादन शीघ्र कर लिया जाय। अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए एक प्रति विभाग के उपलब्ध करा दिया जाय।

(अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी।)

14. कार्यपालक पदाधिकारी, जिनके द्वारा स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को भेजा गया है, से बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए स्पष्टीकरण की मॉग की जाय। अस्वस्थता की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ स्पष्टीकरण पूछा जाय। स्पष्टीकरण प्राप्त होने तथा उसके निष्पादन तक वेतन स्थगित रखा जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी। 13/10/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 6807 / न0वि0एवंआ0 विभाग / पटना, दिनांक 16/10/2017

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/10/2017
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6807 / न0वि0एवंआ0 विभाग / पटना, दिनांक 16/10/2017

प्रतिलिपि– सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी / विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/10/2017
प्रधान सचिव